रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 627] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 1992/आश्विन 2, 1914
No. 627] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 1992/ASVINA 2, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1992

सं. 61/92—गैर-टैरिफ सीमाशुल्क

का.आ. 707(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (1) और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 59/92—सीमा-शुल्क का.आ.सं. 649(अ) तारीख, 28 अगस्त, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है । अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 1, 6, 10 तथा 15 और उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
1	आस्ट्रिया के शिलिंग	34.4200
6	जूस्से मार्क	4.9575
10	इतालवी लीरा	4144.0000
15	स्वीडन के क्रोनर	18.5900

यह दर 25-9-92 से लागू होगी ।

[फा. सं. 503/15/92-सी.शु. VI]

टी.आर. कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th September, 1992

NOTIFICATION

NO.61/92—NT—CUSTOMS

S.O. 707(E).—In pursuance of sub-section (2) Section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 59/92-NT-Cus. S.O. 649(E), dated 28th August, 1992 namely:—

In the Schedule below the said Notification for serial Nos. 1, 6, 10 and 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
1	Austrian Schillings	34.4200
6	Deutsche Marks	4.9575
10	Italian Lire	4144.0000
15	Swedish Kroners	18.5900

These rates will be effective from 25th September, 1992.

[F.No.503/15/92—Cus.VI]
T. R. KAPUR, Under Secy.

Printed by the Managar, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992